

कर भिन्न राजस्व

		(₹ करोड़)			
मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2016-2017	बजट 2017-2018	संशोधित 2017-2018	बजट 2018-2019	
ब्याज प्राप्ति, लाभांश एवं लाभ					
1. ब्याज प्राप्तियां					
1.01. राज्य	0049	7569.12	7067.67	6953.23	6100.06
1.02. संघ राज्य क्षेत्र (विधान मंडल युक्त)	0049	39.24	364.40	367.40	367.40
1.03. रेलवे द्वारा देय ब्याज					
1.03.01. लगी पूंजी पर लाभांश (सामान्य राजस्व द्वारा देय आर्थिक सहायता को घटाकर)	0049
1.03.02. सामान्य राजस्व द्वारा देय आर्थिक सहायता	0049
1.03.03. रेल यात्री किराए पर कर के एवज में रेलवे द्वारा अदायगी	0049
<i>जोड़-रेलवे द्वारा देय ब्याज</i>					
1.04. अन्य ब्याज प्राप्तियां	0049	35853.16	27873.66	36583.06	25049.59
1.04.01. घटाइए व्यय के प्रति घटाई गई प्राप्तियां	0049	-27232.54	-16285.00	-30353.03	-16355.00
<i>निवल-ब्याज प्राप्तियां</i>					
		16228.98	19020.73	13550.66	15162.05
2. लाभांश और लाभ					
2.01. सरकारी क्षेत्र के उद्यम और अन्य निवेशों से लाभांश	0050	51851.94	67529.24	54810.00	52494.71
2.02. भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के लाभांश/अधिशेष लाभ	0050	71164.61	74901.25	51623.24	54817.25
<i>जोड़-लाभांश और लाभ</i>					
		123016.55	142430.49	106433.24	107311.96
जोड़-ब्याज प्राप्ति, लाभांश एवं लाभ					
		139245.53	161451.22	119983.90	122474.01
राजकोषीय सेवाएं					
3. राजकोषीय सेवाएं					
3.01. करेंसी, सिक्का निर्माण और टकसाल (सिक्कों के परिचालन से लाभ)	0046	680.32	600.00	600.00	600.00
3.02. अन्य राजकोषीय सेवाएं	0047	84.53	60.45	100.25	121.20
<i>जोड़-राजकोषीय सेवाएं</i>					
		764.85	660.45	700.25	721.20
जोड़-राजकोषीय सेवाएं					
		764.85	660.45	700.25	721.20
सामान्य सेवाएं					
4. सामान्य सेवाएं					
4.01. प्रशासनिक सेवाएं					
4.01.01. लोक सेवा आयोग	0051	104.04	138.00	94.00	136.50
4.01.02. पुलिस	0055	6254.26	6611.74	7511.40	7611.60
4.01.03. पूर्ति और निपटान					
4.01.03.01. पूर्ति और निपटान	0057	228.72	149.50
4.01.03.02. घटाएं-प्राप्तियां	0057
<i>निवल</i>					
		228.72	149.50
4.01.04. लेखन सामग्री और मुद्रण	0058	37.88	32.17	32.17	38.80
4.01.05. लोक निर्माण कार्य	0059	198.74	172.62	172.62	76.65
4.01.06. अन्य प्रशासनिक सेवाएं	0070	5521.13	9070.81	5783.21	7432.31
<i>निवल-प्रशासनिक सेवाएं</i>					
		12344.77	16174.84	13593.40	15295.86
4.02. पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान और वसूलियां					
4.02.01. पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान और वसूलियां	0071	1703.79	3982.78	2828.22	2824.53
4.02.02. घटाइए प्राप्तियां	0071	...	-1000.00	-1000.00	-1000.00
<i>निवल-पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान और वसूलियां</i>					
		1703.79	2982.78	1828.22	1824.53
4.03. विविध सामान्य सेवाएं	0075	18988.20	18788.98	18961.22	19211.20
4.03.01. घटाइए वाणिज्यिक विभाग -कैटीन स्टोर्स विभाग की प्राप्तियां	0075	-16943.21	-17737.50	-17125.00	-17625.00

		(₹ करोड़)			
मुख्य शीर्ष		वास्तविक 2016-2017	बजट 2017-2018	संशोधित 2017-2018	बजट 2018-2019
4.03.02.	घटाइए प्राप्ति	0075	-2.53
	<i>निवल-विविध सामान्य सेवाएं</i>		2042.46	1051.48	1836.22
4.04.	रक्षा सेवाएं				
4.04.01.	रक्षा सेवाएं सेना	0076	2494.95	2849.09	2849.09
4.04.01.01.	घटाएं-प्राप्ति	0076	-2494.95	-2849.09	-2849.09
	<i>निवल</i>	
4.04.02.	रक्षा सेवाएं नौसेना	0077	332.49	400.00	650.00
4.04.02.01.	घटाएं-प्राप्ति	0077	-332.49	-400.00	-650.00
	<i>निवल</i>	
4.04.03.	रक्षा सेवाएं वायु सेना	0078	2371.72	1300.00	1300.00
4.04.03.01.	घटाएं-प्राप्ति	0078	-2371.72	-1300.00	-1300.00
	<i>निवल</i>	
4.04.04.	रक्षा सेवाएं आयुध कारखाने	0079	2062.95	1728.28	1848.43
4.04.04.01.	घटाएं-प्राप्ति	0079	-2062.95	-1728.28	-1848.43
	<i>निवल</i>	
4.04.05.	रक्षा सेवाएं अनुसंधान और विकास	0080	353.16	150.00	150.00
4.04.05.01.	घटाएं-प्राप्ति	0080	-353.16	-150.00	-150.00
	<i>निवल</i>	
	<i>निवल-रक्षा सेवाएं</i>	
	<i>निवल-सामान्य सेवाएं</i>		16091.02	20209.10	17257.84
	जोड़-सामान्य सेवाएं		16091.02	20209.10	17257.84
	सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं				
5.	सामाजिक सेवाएं				
5.01.	शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	0202	246.25	231.27	237.81
5.02.	चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	0210	376.38	389.78	581.33
5.03.	परिवार कल्याण	0211	17.34	22.10	20.10
5.04.	आवास	0216	168.70	264.55	254.91
5.05.	शहरी विकास	0217	0.02	0.01	0.01
5.06.	सूचना और प्रचार प्रसार	0220	67.30	6186.72	41.58
5.07.	प्रसारण	0221	1710.30	987.54	1501.00
5.07.01.	घटाएं-प्राप्ति	0221
5.08.	श्रम और रोजगार	0230	24.96	40.87	23.91
5.09.	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	0235	3427.74	1501.18	1000.57
5.10.	अन्य सामाजिक सेवाएं	0250	5889.16	...	64.43
5.10.01.	घटाएं-प्राप्ति	0250	-64.43
	<i>निवल-सामाजिक सेवाएं</i>		11928.15	9624.02	3661.22
	जोड़-सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं		11928.15	9624.02	3661.22
	आर्थिक सेवाएं				
6.	आर्थिक सेवाएं				
6.01.	कृषि और संबद्ध क्रियाकलाप				
6.01.01.	फसल कार्य	0401	407.03	230.01	913.05
6.01.01.01.	घटाएं-प्राप्ति	0401
	<i>निवल</i>		407.03	230.01	913.05
6.01.02.	पशु पालन	0403	18.81	16.79	18.25
6.01.03.	डेयरी विकास	0404	418.98	550.45	440.32
6.01.03.01.	घटाएं-वाणिज्यिक विभाग-दिल्ली दुग्ध स्कीम की प्राप्ति	0404	-418.66	-550.00	-440.00
	<i>निवल</i>		0.32	0.45	0.32
6.01.04.	मात्स्यिकी	0405	4.16	4.49	4.20

मुख्य शीर्ष		वास्तविक 2016-2017	बजट 2017-2018	संशोधित 2017-2018	बजट 2018-2019	
6.01.05.	वानिकी एवं वन्य जीवन	0406	16.17	31.00	212.83	33.00
6.01.05.01.	घटाएं-प्राप्तियां	0406	-3.14	-6.00	-192.83	-8.00
	<i>निवल</i>		<i>13.03</i>	<i>25.00</i>	<i>20.00</i>	<i>25.00</i>
6.01.06.	बागान	0407
6.01.07.	खाद्य भंडारण और भांडागार	0408	10.22	7.73	910.35	12.02
6.01.08.	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	0415	0.01	0.05	0.01	0.01
6.01.09.	सहकारिता	0425
6.01.10.	अन्य कृषि कार्यक्रम	0435	18.88	17.44	19.50	20.50
	<i>निवल-कृषि और संबद्ध क्रियाकलाप</i>		<i>472.46</i>	<i>301.96</i>	<i>1885.68</i>	<i>505.58</i>
6.02.	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण					
6.02.01.	वृहत और मध्यम सिंचाई	0701	19.00	23.50	32.00	40.00
6.02.02.	वृहत सिंचाई	0702	1.09	1.00	1.10	1.20
	<i>जोड़-सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण</i>		<i>20.09</i>	<i>24.50</i>	<i>33.10</i>	<i>41.20</i>
6.03.	ऊर्जा					
6.03.01.	विद्युत	0801	5419.18	8808.10	5875.02	5893.78
6.03.01.01.	घटाएं-वाणिज्यिक विभाग-बदरपुर ताप विद्युत स्टेशन की प्राप्तियां	0801	-104.26
6.03.01.02.	घटाएं-वाणिज्यिक विभाग-ईंधन सूची	0801	-1522.12	-2391.75	-2140.77	-2158.83
	<i>निवल</i>		<i>3792.80</i>	<i>6416.35</i>	<i>3734.25</i>	<i>3734.95</i>
6.03.02.	पेट्रोलियम	0802	10796.93	15820.21	15735.71	9877.24
6.03.03.	कोयला और लिग्नाइट	0803	432.73	3536.95	3536.95	...
6.03.04.	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा	0810	...	0.06	0.05	0.06
	<i>निवल-ऊर्जा</i>		<i>15022.46</i>	<i>25773.57</i>	<i>23006.96</i>	<i>13612.25</i>
6.04.	उद्योग और खनिज					
6.04.01.	ग्राम और लघु उद्योग	0851	28.10	22.02	35.95	37.26
6.04.02.	उद्योग	0852	3046.12	2477.35	7501.67	2615.45
6.04.02.01.	घटाएं-वाणिज्यिक विभाग-ईंधन निर्माण सुविधाओं की प्राप्तियां	0852	-1269.50	-2004.83	-7301.98	-2417.80
6.04.02.03.	घटाएं-इस क्षेत्र की अन्य प्राप्तियां	0852	-2601.42	-255.00
	<i>निवल</i>		<i>-824.80</i>	<i>217.52</i>	<i>199.69</i>	<i>197.65</i>
6.04.03.	अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	0853	16.12	30.00	23.36	24.59
6.04.04.	अन्य उद्योग	0875	219.19	262.79	150.00	150.00
6.04.04.01.	घटाएं-वाणिज्यिक विभाग-अफीम और क्षारोद फैक्टरी की प्राप्तियां	0875	-219.19	-262.79	-150.00	-150.00
	<i>निवल</i>		<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>
	<i>निवल-उद्योग और खनिज</i>		<i>-780.58</i>	<i>269.54</i>	<i>259.00</i>	<i>259.50</i>
6.05.	परिवहन					
6.05.01.	पत्तन और दीपस्तंभ	1051	364.64	282.60	325.30	325.43
6.05.01.01.	घटाएं-वाणिज्यिक विभाग-दीप स्तंभ और लाइटशिप की प्राप्तियां	1051	-364.04	-280.00	-320.00	-320.00
	<i>निवल</i>		<i>0.60</i>	<i>2.60</i>	<i>5.30</i>	<i>5.43</i>
6.05.02.	पोत परिवहन	1052	140.35	121.32	121.82	122.82
6.05.03.	नागर विमानन	1053	38.66	36.50	100.00	105.00
6.05.04.	सड़क और पुल	1054	7323.72	11500.00	9269.00	10291.00
6.05.05.	सड़क परिवहन	1055
6.05.06.	अंतर्देशीय जल परिवहन	1056	12.48
6.05.07.	अन्य परिवहन सेवाएं	1075
6.05.08.	डाक प्राप्तियां	1201	11511.00	15210.03	15418.16	16956.11
6.05.08.01.	घटाएं-वाणिज्यिक विभाग-डाक की प्राप्तियां	1201	-11511.00	-15210.03	-15418.16	-16956.11
	<i>निवल</i>		<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>
	<i>निवल-परिवहन</i>		<i>7515.81</i>	<i>11660.42</i>	<i>9496.12</i>	<i>10524.25</i>

		(₹ करोड़)				
मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2016-2017	बजट 2017-2018	संशोधित 2017-2018	बजट 2018-2019		
6.06.	संचार					
6.06.01.	अन्य संचार सेवाएं	1275	70241.14	44342.20	30736.47	48661.42
6.06.01.02.	घटाएं- प्राप्ति	1275
	<i>निवल</i>		<i>70241.14</i>	<i>44342.20</i>	<i>30736.47</i>	<i>48661.42</i>
6.07.	विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण					
6.07.01.	परमाणु ऊर्जा अनुसंधान	1401	103.76	86.18	97.20	91.69
6.07.02.	अन्य वैज्ञानिक सेवाएं और अनुसंधान	1425	1052.69	817.26	1111.42	1099.08
	<i>जोड़-विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण</i>		<i>1156.45</i>	<i>903.44</i>	<i>1208.62</i>	<i>1190.77</i>
6.08.	सामान्य आर्थिक सेवाएं					
6.08.01.	विदेश व्यापार और निर्यात सेवाएं	1453	242.79	229.83	157.58	157.58
6.08.02.	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	1475	7800.43	8715.15	22019.44	14619.91
6.08.02.01.	घटाएं- प्राप्ति	1475
	<i>जोड़-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं</i>		<i>7800.43</i>	<i>8715.15</i>	<i>22019.44</i>	<i>14619.91</i>
6.08.03.	पर्यटन	1452	6.63	14.00	10.00	10.00
6.08.04.	नागरिक आपूर्ति	1456	0.04	0.02	0.03	0.04
	<i>जोड़-सामान्य आर्थिक सेवाएं</i>		<i>8049.89</i>	<i>8959.00</i>	<i>22187.05</i>	<i>14787.53</i>
	<i>निवल-आर्थिक सेवाएं</i>		<i>101697.72</i>	<i>92234.63</i>	<i>88813.00</i>	<i>89582.50</i>
7.	रेल बजट के अनुसार रेल राजस्व					
7.01.	भारतीय रेलवे-विविध प्राप्ति	1001	90.28	500.00	200.00	250.00
7.01.01.	घटाइए विविध प्राप्ति	1001	-90.28	-500.00	-200.00	-250.00
7.02.	भारतीय रेलवे वाणिज्यिक लाइनें	1002	161582.66	188998.37	185293.62	198702.42
7.02.01.	घटाइए प्राप्ति	1002	-161582.66	-188998.37	-185293.62	-198702.42
7.03.	भारतीय रेलवे सामरिक लाइनें	1003	3709.54	...	1931.38	2137.58
7.03.01.	घटाइए प्राप्ति	1003	-3709.54	...	-1931.38	-2137.58
	<i>निवल-रेल बजट के अनुसार रेल राजस्व</i>		<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>
	जोड़-आर्थिक सेवाएं		101697.72	92234.63	88813.00	89582.50
	सहायता-अनुदान तथा अंशदान					
8.	सहायता अनुदान और अंशदान					
8.01.	विदेश अनुदान सहायता					
8.01.01.	बहुपक्षीय					
8.01.01.01.	एशियाई विकास बैंक	1605	9.00	16.00
8.01.01.02.	अंतरराष्ट्रीय कृषि निधि	1605	3.00	3.00
8.01.01.03.	अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक	1605	...	60.00	90.00	93.00
8.01.01.04.	अंतरराष्ट्रीय विकास संघ	1605
	<i>जोड़-बहुपक्षीय</i>		<i>...</i>	<i>60.00</i>	<i>102.00</i>	<i>112.00</i>
8.01.02.	द्विपक्षीय					
8.01.02.01.	जर्मनी	1605	...	15.00	33.00	22.00
8.01.02.02.	जापान	1605	...	40.00	17.00	42.00
8.01.02.03.	इंग्लैंड (डीएमआईडी)	1605
8.01.02.04.	ईईसी	1605
8.01.02.05.	यूएसएआईडी	1605
	<i>जोड़-द्विपक्षीय</i>		<i>...</i>	<i>55.00</i>	<i>50.00</i>	<i>64.00</i>
8.01.03.	अंतर्राष्ट्रीय निकाय					
8.01.03.01.	वैश्विक पर्यावरण निधि	1605	1299.59	1808.00	1350.00	1200.00
8.01.03.02.	यूएनडीपी	1605	...	25.00	11.00	11.00
8.01.03.03.	यूएनपीएफ	1605
	<i>जोड़-अंतर्राष्ट्रीय निकाय</i>		<i>1299.59</i>	<i>1833.00</i>	<i>1361.00</i>	<i>1211.00</i>
	<i>जोड़-विदेश अनुदान सहायता</i>		<i>1299.59</i>	<i>1948.00</i>	<i>1513.00</i>	<i>1387.00</i>

		(₹ करोड़)			
	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2016-2017	बजट 2017-2018	संशोधित 2017-2018	बजट 2018-2019
8.02.	सहायता सामग्री और उपस्कर	1606	...	1112.00	1280.00
	जोड़-सहायता अनुदान और अंशदान		1299.59	3060.00	2667.00
	जोड़-सहायता-अनुदान तथा अंशदान		1299.59	3060.00	2667.00
	संघ राज्य क्षेत्रों का कर भिन्न राजस्व				
9.	संघ राज्य क्षेत्रों के कर-भिन्न राजस्व	1710	1804.03	1517.65	2062.10
	जोड़-संघ राज्य क्षेत्रों का कर भिन्न राजस्व		1804.03	1517.65	2062.10
	कुल जोड़		272830.89	288757.07	245088.75

उपर्युक्त विवरण में 2018-2019 की कर-भिन्न राजस्व प्राप्ति के अनुमानों का सार दिया गया है। कर-भिन्न राजस्व प्राप्ति के अनुमान विभिन्न स्रोतों से प्राप्त किए गए हैं जैसे परिसंपत्तियों पर लाभांश और लाभ के रूप में प्रतिलाभ, सरकारी कार्य, विनियामक प्रभारों तथा लाइसेंस शुल्क और मुहैया कराई गई सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं पर प्रयोक्ता प्रभारों के रूप में संग्रहित ब्याज, शुल्क, दंड और विविध प्राप्ति।

1.01 राज्य : राज्यों को ऋण पर ब्याज : ब्याज प्राप्ति संशोधित अनुमान 2017-18 में 6953.23 करोड़ रुपए तथा बजट अनुमान 2018-19 में 6100.06 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है।

1.02 संघ राज्य क्षेत्र (विधानमंडल वाले) : संघ राज्य क्षेत्र (विधानमंडल वाले) को ऋण पर ब्याज : ब्याज प्राप्ति संशोधित अनुमान 2017-18 में 367.40 करोड़ रुपए तथा बजट अनुमान 2018-19 में 367.40 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है।

1.03 रेलवे द्वारा देय ब्याज : 2016-17 में रेलवे द्वारा देय लाभांश रेलवे अभिसमय समिति द्वारा "2016-17 के दौरान रेलवे द्वारा देय लाभांश दर" विषय पर अपनी छठी रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के आधार पर माफ कर दी गई है। बजट 2017-18 से केंद्रीय बजट में रेल बजट के विलय के परिणामस्वरूप भारत पूंजी समाप्त हो जाएगी। तदनुसार रेलवे 2017-18 से सामान्य राजस्व के लाभांश का भुगतान नहीं करेगा।

1.04. अन्य ब्याज प्राप्ति : "अन्य ब्याज प्राप्ति" के तहत अनुमान सरकारी क्षेत्र के उद्यमों, पत्तन न्यासों तथा अन्य सांविधिक निकायों, सहकारी समितियों, सरकारी कर्मचारियों आदि को दिए गए अग्रिम ऋणों पर ब्याज के सम्बन्ध में और विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों पर पूंजी परिव्यय हैं। उस आकलन में भारतीय खाद्य निगम द्वारा देय अर्थोपाय अग्रिम पर ब्याज भी शामिल हैं।

2. लाभांश तथा लाभ : इस भाग में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों से प्राप्त लाभांश तथा लाभ शामिल हैं। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक के अधिशेष भी शामिल हैं जो सरकार को अन्तरित किए जाते हैं।

3.2. अन्य राजकोषीय सेवाएं : ये प्राप्ति मुख्यतः भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को देय ईएफएफ प्रभार, आईएमएफ से प्राप्त पारिश्रमिक आदि तथा आर्थिक अपराधों के एवज में प्राप्त शास्तियों आदि के अंशदानों से सम्बन्धित हैं।

4.01.01. लोक सेवा आयोग : "लोक सेवा आयोग" की प्राप्ति मुख्यतः संघ लोक सेवा आयोग तथा कर्मचारी चयन आयोग के परीक्षा शुल्क आदि को प्रदर्शित करती हैं।

4.01.02. पुलिस : "पुलिस" की प्राप्ति राज्य सरकारों तथा अन्य पक्षकारों को सप्लाई किए गए केन्द्रीय पुलिस बल के कारण हैं। इन प्राप्ति में दिल्ली पुलिस की प्राप्ति भी शामिल हैं।

4.01.03. पूर्ति तथा निपटान : "पूर्ति तथा निपटान" के अन्तर्गत प्राप्ति मुख्यतः भण्डारों की खरीद तथा निरीक्षण हेतु शुल्कों और अधिशेष और बेकार पड़े भण्डारों के पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के जरिए निपटान की विक्री आय से सम्बन्धित हैं।

4.01.04. स्टेशनरी तथा मुद्रण : "स्टेशनरी तथा मुद्रण" के अन्तर्गत प्राप्ति सरकारी मुद्रणालयों की स्टेशनरी, राजपत्र तथा सरकारी प्रकाशनों की विक्री आदि से सम्बन्धित हैं।

4.01.06. अन्य प्रशासनिक सेवाएं : "अन्य प्रशासनिक सेवाएं" शीर्ष के अन्तर्गत प्राप्ति मुख्यतः लेखा परीक्षा शुल्क, पासपोर्ट एवं वीजा शुल्क आदि से सम्बद्ध हैं।

4.03.01. घटाइए वाणिज्यिक विभाग कैटीन स्टोर्स विभाग की प्राप्ति : वाणिज्यिक विभाग की प्राप्ति रक्षा सेवा कैटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट से सम्बन्धित हैं जिन्हें व्यय बजट में वाणिज्य विभागों के निवल व्यय के अन्तर्गत दिखाया जाता है।

5.01. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति : "शिक्षा, खेल, कला तथा संस्कृति" के अन्तर्गत प्राप्ति मुख्यतः ट्यूशन तथा अन्य शुल्कों एवं संग्रहालयों तथा प्राचीन स्मारकों के प्रवेश शुल्क से सम्बन्धित हैं।

- 5.02. चिकित्सा और जन स्वास्थ्य:** "चिकित्सा" प्राप्तियों में केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना से संबंधित अंशदान और अस्पतालों तथा औषधालयों की प्रदत्त सेवाओं की एवज में रोगियों से वसूल किए गए चार्ज आदि शामिल हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राप्तियों में सेवा शुल्क, सीरम तथा वेक्सीन की बिक्री की प्राप्तियां आदि शामिल हैं।
- 5.03. परिवार कल्याण:** "परिवार कल्याण" प्राप्तियां मुख्यतः सामग्रियों तथा आपूर्ति की बिक्री प्राप्तियों से सम्बन्धित हैं।
- 5.04. आवास:** "आवासन" प्राप्तियां मुख्यतः सरकारी आवासीय भवनों से सम्बन्धित लाइसेंस शुल्क से सम्बद्ध हैं।
- 5.06. सूचना और प्रचार :** "सूचना तथा प्रचार" प्राप्तियों में विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार, प्रकाशन बिक्री, फिल्म किराया तथा तीन चरणों में की जाने वाली फ्रिक्वेंसी मॉड्युलेशन (एफएम) - चरण-III की प्राप्तियां और डीटीएच आपरेटरों से प्राप्त लाइसेंस शुल्क शामिल हैं।
- 5.08. श्रम और रोजगार:** "श्रम और रोजगार" प्राप्तियां मुख्यतः श्रम कानूनों, कारखाना और खान अधिनियम आदि के अंतर्गत वसूल किए गए शुल्कों में संबंधित हैं।
- 5.09. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण:** "सामाजिक सुरक्षा और कल्याण" प्राप्तियां केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी बीमा स्कीम से सम्बन्धित हैं।
- 6.01. कृषि और संबद्ध क्रियाकलाप:** इस उप-क्षेत्र में कृषि फार्मों, वाणिज्यिक फसलों, बागवानी, पौध संरक्षण सेवाओं, कृषि शिक्षा से शुल्क, कृषि उत्पादों का गुणवत्ता नियंत्रण और श्रेणीकरण हेतु शुल्क आदि से प्राप्तियों को शामिल किया जाता है। दूसरे देशों और विदेशी संगठनों से सहायता के रूप में प्राप्त बीज, उर्वरक, मशीनरी आदि जैसी निविष्टियों की बिक्री आय को भी इसकी गणना में लिया जाता है।
- 6.02. सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण:** इस शीर्ष के अधीन अनुमानों में, मुख्यतः केन्द्रीय जल आयोग और केन्द्रीय जल विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे की प्राप्तियां आती हैं। "लघु सिंचाई" के अधीन अनुमान केन्द्रीय भूजल बोर्ड द्वारा राज्य सरकारों आदि के लिए किए गए भूमिगत जल की खोज से सम्बन्धित हैं।
- 6.03. ऊर्जा:** इस शीर्ष के अधीन "विद्युत, पेट्रोलियम, कोयला और लिग्नाइट तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा" जैसे विभिन्न सेक्शनों से प्राप्त प्राप्तियों को गणना में लिया जाता है। "विद्युत" शीर्ष में विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम के अधीन केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की प्राप्तियां दर्ज होती हैं। "पेट्रोलियम" शीर्ष के अधीन अनुमानों में अपतटीय कच्चे तेल और गैस उत्पादन लाभ पेट्रोलियम पर रॉयल्टी और किसी विशेष क्षेत्र में तेल और गैस की अनन्य खोज के अधिकार के लिए लाइसेंस शुल्क से प्राप्तियां शामिल हैं।
- 6.03.02. पेट्रोलियम :** (क) रॉयल्टी : पीएनजी नियमावली, 1959 की धारा 14 के अंतर्गत रॉयल्टी राज्य सरकार को भू-तटीय तेल और प्राकृतिक गैस ब्लॉकों के लिए और केंद्र सरकार को अपतटीय तेल और प्राकृतिक गैस ब्लॉकों के लिए देय है। कच्चे तेल पर रॉयल्टी आयलफिल्ड (विनियमन और विकास) अधिनियम 1948 की धारा 6क, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियमावली, 1959 तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियमावली, 2003 द्वारा विनियमित की जाती है। इन सांविधियों और संबंधित अधिसूचनाओं के अनुसार कच्चे तेल सहित किसी भी खनिज तेल के संबंध में रॉयल्टी की दर आयल फिल्ड अथवा वेल हेड पर खनिज तेल के बिक्री मूल्य का 20% से अधिक नहीं होगी।
- (ख) **लाभ पेट्रोलियम :** लाभ पेट्रोलियम संविदा के अनुसार उत्पादन की स्वीकार्य लागत को घटाकर किसी भी आयल फिल्ड से उत्पादित पेट्रोलियम का मूल्य है। संविदाकर्ता तथा सरकार संविदागत क्षेत्र से लाभ पेट्रोलियम का साझा करती हैं जो संबंधित करार/संविदा के उपबंधों के अनुसार होता है। राष्ट्रीय तेल कंपनियों द्वारा नामित फिल्डों से उत्पादन पर कोई लाभ पेट्रोलियम देय नहीं है। लाभ पेट्रोलियम उगाही भी कच्चे तेल और गैस के प्रचलित मूल्य के अनुसार भिन्न होती है। महानिदेशक, हाइड्रोकार्बन (डीजीएच) इन पीएससी के कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग करते हैं। लाभ पेट्रोलियम तिमाही आधार पर देय है तथा वित्त वर्ष की समाप्त पर अंतिम समायोजन किया जाता है।
- (ग) पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस (पीईएल) शुल्क : (i) पीईएल शुल्क का भुगतान लाइसेंस धारक द्वारा किसी विशिष्ट क्षेत्र में तेल तथा गैस की विशिष्ट खोज करने को अधिकार देने वाली सरकार से विचार करके किया जाने वाला भुगतान है। लाइसेंस शुल्क आमतौर पर लाइसेंस के क्षेत्र तथा अवधि से संबंधित होता है तथा इसका भुगतान लाइसेंस धारक द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित पीएंडएनजी नियम, 1959 के अनुसार, अग्रिम रूप से वार्षिक आधार पर किया जाता है। (ii) अपतटीय फिल्डों के मामले में, पीईएल शुल्क केंद्र सरकार के पास जाता है जबकि अभितट फिल्डों के मामले में यह संबंधित राज्य सरकार को देय है।
- (घ) उत्पादन स्तर भुगतान (पीएलपी) : यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें संचालक जिस दिन से उत्पादन शुरू करता है उसी दिन से सरकार के साथ राजस्व साझा करता है। उत्पादन स्तर भुगतान प्रणाली अधिक पारदर्शी है और इसमें रूटीन खोज में नौकरशाहों तथा विकासात्मक क्रियाकलाप में जुटी कंपनियों के न्यूनतम हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है।
- 6.04.01. ग्राम और लघु उद्योग:** ग्रामीण और लघु उद्योग शीर्ष में औद्योगिक सम्पदाओं, लघु, हकथकरघा, खादी, हस्तशिल्प, नारियल जटा, रेशम उद्योग, विद्युत करघा और अन्य ग्राम उद्योगों से प्राप्तियां दर्ज की जाती हैं।

6.04.02. उद्योग: उद्योग के अधीन प्राप्तियां मुख्यतः परमाणु ऊर्जा उद्योगों और विभिन्न उद्योगों से संग्रहित लाइसेंस शुल्कों से सम्बन्धित हैं।

6.04.03. अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग: अलौह अयस्क खनन और धात्विक उद्योग शीर्ष में मुख्यतः भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किए गए विशिष्ट कार्यों के मद में प्राप्तियों को समायोजित किया जाता है।

6.05.02. पोत परिवहन: पोत परिवहन शीर्ष में जहाजों और नौका सेवाओं के सर्वेक्षण और पंजीकरण शुल्क की प्राप्तियों को गणना में लिया जाता है।

6.05.04. सड़क और पुल: सड़क और पुल शीर्ष में राष्ट्रीय राजमार्ग के मद में प्राप्तियां शामिल हैं जिसमें राष्ट्रीय राजमार्गों, स्थाई पुलों के प्रयोग हेतु शुल्क तथा सीमा सड़क विकास बोर्ड द्वारा प्रदत्त सेवाओं के लिए राज्य सरकार तथा अन्य निकायों से वसूले गए विभागीय प्रभार भी शामिल हैं।

6.06.01. अन्य संचार सेवाएं: इस शीर्ष के अंतर्गत प्राप्तियां मुख्य रूप से दूरसंचार प्रचालकों से प्राप्त लाइसेंस शुल्क तथा स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभार से प्राप्तियां शामिल हैं। दूरसंचार विभाग उन विभिन्न दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से आवर्ती लाइसेंस शुल्क प्राप्त करता है जिन्हें इसने लाइसेंस दिया है। अन्य संचार सेवाओं में मुख्य रूप से दूरसंचार आपरेटरों से लाइसेंस शुल्क तथा स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभार से हुई प्राप्तियां शामिल हैं। दूरसंचार विभाग उन विभिन्न दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से आवर्ती लाइसेंस शुल्क प्राप्त करता है जिन्हें इसने लाइसेंस दिया है। लाइसेंस शुल्क की वसूली अनुमेय कटौतियों जैसेकि पब्लिक स्विचड टेलीकॉम नेटवर्क (पीएसटीएन) प्रभार, पात्र/अधिकृत सेवा प्रदाताओं को अंतरित किए गए रोमिंग प्रभार तथा कंपनी के लेखापरीक्षित लेखाओं में दर्ज कुल राजस्व प्राप्त से राज्य/केन्द्र सरकार को अंतरित बिक्री/सेवा कर जैसी कटौतियों के बाद समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के 8 प्रतिशत की दर पर की जाती है। कैप्टिव प्रयोग तथा कैप्टिव मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सेवाओं (सीएमआरटीएस) लाइसेंसों के लिए लाइसेंस प्रदत्त दूरसंचार नेटवर्क हेतु लाइसेंस शुल्क की वसूली स्थिर दरों पर की जाती है जो टर्मिनलों, चैनलों की संख्या और/या नेटवर्क पूंजी लागत पर निर्भर करती है। इसके अतिरिक्त, नए आपरेटरों से एकबारगी प्रवेश शुल्क की भी वसूली की जाती है।

सेवाओं की मुख्य श्रेणियों में शामिल हैं: (i) बुनियादी सेवा, (ii) सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (सीएमटीएस), (iii) एकीकृत अभिगमसेवा (यूएस), (iv) एकीकृत लाइसेंस, (v) अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी (आईएलडी), (vi) राष्ट्रीय लंबी दूरी (एनएलडी), (vii) इंटरनेट सेवा प्रदाता (आईएसपी), (viii) वाणिज्यिक सीयूजी वीएसएटी लाइसेंस, (ix) पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंक सेवा (पीएमआरटीएस), (x) कैप्टिव मोबाइल रेडियो ट्रंक सेवा (सीएमआरटीएस), (xi) जीएमपीसीएस लाइसेंस, (xii) आईपीएलसी लाइसेंस की पुनः बिक्री। लाइसेंस शुल्क की वसूली दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के प्रतिशत हिस्से के आधार पर किया जाता है जिसमें सर्वभौमिक अभिगम लेबी (यूएल) का एक संघटक शामिल है। लाइसेंस शुल्क की वसूली लाइसेंस शुल्क की दर, प्रशुल्क तथा देश में दूरसंचार क्षेत्र के विकास पर निर्भर करता है। विभाग वायरलेस उपकरणों को प्राप्त करने तथा विभिन्न कंपनियों से रेडियो स्पेक्ट्रम के प्रयोग हेतु रायल्टी की राशि भी प्राप्त करता है। विभिन्न सेवा प्रदाताओं से वसूली गई राशि आमतौर पर स्पेक्ट्रम प्रभार के नाम से जानी जाती है तथा इसका परिकलन या तो उनके समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के प्रतिशत के रूप में उनके नेटवर्क के लिए सौंपे गए स्पेक्ट्रम के आधार पर (वाणिज्यिक वी सैट लाइसेंस प्राप्त) या फिर निर्धारित किए गए फार्मुला के आधार पर एक समान दरों पर किया जाता है। स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभार की वसूली विभाग द्वारा दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (मोबाइल वाणिज्यिक वी सैट आदि) से स्पेक्ट्रम के उपयोग हेतु की जाती है तथा इसका परिकलन उनके नेटवर्क के लिए उन्हें सौंपे गए स्पेक्ट्रम के आधार पर उनके समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के प्रतिशत के रूप में किया जाता है।

6.07.01. परमाणु ऊर्जा अनुसंधान: "परमाणु ऊर्जा अनुसंधान" के अंतर्गत प्राप्तियां भाभा परमाणु शोध केन्द्र के विभिन्न प्रभागों/एककों द्वारा प्रदत्त सेवाओं तथा बिक्री से सम्बन्धित हैं।

6.07.02. अन्य वैज्ञानिक सेवाएं और अनुसंधान: अन्य वैज्ञानिक सेवाएं तथा अनुसंधान" मुख्यतः भारतीय सर्वेक्षण विभाग राष्ट्रीय एटलस तथा थ्रीमैटिक मैपिंग संगठन से सम्बन्धित है।

6.08.01. विदेश व्यापार और निर्यात सेवाएं: "विदेश व्यापार तथा निर्यात सेवाएं" शीर्ष के तहत प्राप्तियां व्यापार तथा भुगतान समझौते के अन्तर्गत शेष के संबंध में भारत के पक्ष में विदेशी मुद्रा के पुनर्मुल्यांकन पर अर्जित प्राप्तियां हैं।

6.08.02. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं: "अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं" शीर्ष के तहत मुख्य रूप से ज्वाइंट स्टॉक कंपनियों के विनियमन तथा वीमा अधिनियम के तहत वसूली गई फीस शामिल है। इसमें भारतीय मौसम-विज्ञान विभाग की प्राप्तियां, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा गैर-सरकारी निकायों को प्रदत्त सेवाओं के लिए प्राप्त फीस और जोखिम वीमा निधि सम्बन्धी प्राप्तियां भी शामिल हैं।

7. रेल बजट के अनुसार रेल राजस्व : रेल बजट के अनुसार प्राप्तियों में (i) विविध प्राप्तियाँ (ii) वाणिज्यिक लाइनें, और (iii) सामरिक लाइनें शामिल हैं। चूंकि यह वाणिज्यिक प्राप्ति है अतः कर-भिन्न राजस्व पर इसका प्रभाव शून्य है।

8. सहायता अनुदान और अंशदान : ये अनुमान बाहरी स्रोतों से नकद तथा अन्य प्रकार से प्राप्त सहायता अनुदान के संबंध में हैं। बाह्य सहायता का ब्यौरा भाग ख के विवरण-5 में दिया गया है।

9. संघ राज्य क्षेत्रों के कर-भिन्न राजस्व : संघ राज्य क्षेत्रों (बिना विधान मण्डल वाले) की प्राप्तियों में मुख्यतः विद्युत, सड़क परिवहन, चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य, वानिकी तथा वन्यजीव पोत तथा दीपस्तंभ, पोत परिवहन, नागर विमानन आदि शामिल हैं।

कर-भिन्न राजस्व का बकाया : राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन नियमावली, 2004 के नियम 6 के अनुपालन में कर-भिन्न राजस्वों के बकाया के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण विवरण अनुबंध 6 में देखा जा सकता है।